Jharkhand Accounts Clerk Association
Abinash Mishra

संoसंo : 12/एसo(न्याoमाo)–07/2014..2388/वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची/दिनांक 08.07.14

संकल्प

विषय : W.P.(S) No. 6507/2002 राकेश मोहन मेधावी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.07.2008 को पारित न्यायादेश एवं इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या........../2013 राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के आलोक में समाहरणालय एवं मुफ्फसिल कार्यालयों के स्थापना के निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) एवं उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) के वेतनमान का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में।

फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा पर राज्य सरकार के विभिन्न पदों/संवर्गों की संरचना केन्द्र के अनुरूप पुनर्गठित करने का निर्णय वित्त विभाग के पत्र संख्या 6389 दिनांक 28.09.1999 द्वारा संसूचित किया गया था। वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6389/वि० दिनांक 28.09.1999 के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के परिपत्र संख्या 1543 दिनांक 10.07.2004 के द्वारा समाहरणालय एवं अन्य मुफ्फसिल कार्यालयों के लिपिकीय पदों के एकीकरण को पृथक करने संबंधी निर्णय लिया जा चुका है। किन्तु समाहरणालय एवं अन्य मुफ्फसिल कार्यालयों की स्थापना में निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) एवं उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) के पदों का पृथकीकरण संबंधी निर्णय नहीं लिया जा सका। फलतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 6507/2002 राकेश मोहन मेधावी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.07.2008 को पारित न्यायादेश एवं इससे उदभूत अवमाननावाद दायर किया गया है।

2. वित्त विभागीय पत्रांक 1876/वि० दिनांक 18.02.1981 द्वारा समाहरणालय एवं अन्य मुफ्फसिल कार्यालयों की स्थापना के निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) रु० 220–315/– एवं उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) रु० 260–408/–के संवर्ग को एकीकृत कर रु० 260–408/– का उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया था। वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6389/वि० दिनांक 28.09.1999 के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के परिपत्र संख्या 1543 दिनांक 10.07.2004 के द्वारा समाहरणालय एवं अन्य मुफ्फसिल कार्यालयों के लिपिकों के मामले में निर्णय लिया गया, किन्तु लेखा लिपिकों के मामले में निर्णय नहीं लिया गया है। समाहरणालय एवं अन्य मुफ्फसिल कार्यालयों के स्थापना के निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) एवं उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) के वेतनमान पुनर्निर्धारण संबंधी मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

3. अतः केन्द्र के अनुरूप पदों/संवर्गों की संरचना को पुनर्गठित और विकसित करने एवं इस क्रम में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6389/वि० दिनांक 28.09.1999 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) एवं उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) के वेतनमान को निम्नरूपेण स्वीकृत करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :–

पदनाम	वेतनमान
निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा)/कनीय लेखा लिपिक	रु० 3050–4590
उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)/वरीय लेखा लिपिक	रु० 4500–7000

4. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 1543/वि० दिनांक 10.07.2004 के अनुरूप दिनांक 09.07.2004 तक नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा)/कनीय लेखा लिपिक को उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)/वरीय लेखा लिपिक माना जाय तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 08.02.1999 के तहत् दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वेतनमान रु० 4500–7000/– में वैचारिक लाभ एवं दिनांक 15.11.2000 से आर्थिक लाभ देय होगा। वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 08.02.1999 के प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

5. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 1543/वि० दिनांक 10.07.2004 के आलोक में दिनांक 10.07.2004 के प्रभाव से उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) का पद पूर्णतः प्रोन्नति का पद माना जायेगा।

6. दिनांक 10.07.2004 के बाद की गयी नयी नियुक्ति निम्न वर्गीय लिपिक (लेखा) के पद पर मानी जायेगी तथा भविष्य में नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक (लेखा) वेतनमान रु० 3050–4590 अपुनरीक्षित पुनरीक्षित वेतनमान PB-I, 5200-20200 GP 1900/- के पद पर की जायेगी।

7. फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा एवं उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखकर संबंधित संवर्ग के गठन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली तैयार किये जाने पर इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों का स्वरूप भर्त्ती की प्रक्रिया एवं प्रोन्नति की व्यवस्था आदि स्वतः स्पष्ट हो जायेगी और तद्नुसार इस आदेश में किये गये प्रावधान भी संशोधित हो जायेंगे।

8. समाहरणालय एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालयों के कनीय लेखा लिपिकों/वरीय लेखा लिपिकों को प्रोन्नति, ए०सी०पी० या एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने हेतु विभागीय परीक्षा एवं लेखा परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

9. वित्त विभागीय पत्र सं०– 493 दिनांक 22.02.2007 के द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार "केवल उन्हीं लिपिकों को बिना परीक्षा पास किए सशर्त्त प्रोन्नति दी जा सकती है, जिन्हें दिनांक 01.09.1983 या उसके पूर्व प्रोन्नति देय थी। उक्त तिथि के बाद की तिथि में प्रोन्नति पाने वाले लिपिकों को लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा" को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि "कार्य विभाग के लिपिक जिन्हें पहली प्रोन्नति, बिना विभागीय परीक्षा पास किए सशर्त्त प्रोन्नति दिनांक 01.09.1983 या उसके पूर्व ही मिल चुकी है उनकी अन्य प्रोन्नतियाँ भी इस छूट के कारण, अन्य विहित शर्त्तों के पूरा होने की स्थिति में, उन्हें दी जा सकती है।

10. उक्त निर्णय वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 में प्रभावी तिथि से समावेशित समझा जाय।

Jharkhand Accounts Clerk Association
Abinash Mishra

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1372/वि० दिनांक 07.04.2014 के क्रम में दिनांक 26.06.2014 की बैठक के मद सं० 20 में दी गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०(न्या०मा०)–07/2014..... **राँची, दिनांक** .....

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०(न्या०मा०)–07/2014-2388/वि० **राँची, दिनांक** 08.07.14

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/ श्री सरोज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 07/07/14
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव।

Jharkhand Accounts Clerk Association
Abinash Mishra